भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1842

11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव और फेम योजना

1842. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितंबर 2024 में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवलूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई- ड्राइव) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना में आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश को कितनी इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं और इनकी तैनाती की समय-सीमा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों में फास्ट-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ड़) पीएम ई-ड्राइव और फास्टर एडांप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना में क्या अंतर है;

(च) क्या पीएम ई-ड्राइव के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भी शहर में मांग एकत्रीकरण नहीं किया गया है, जो ई-बसें प्रदान करता है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : जी हां। **भारत सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम** को 29.09.2024 को अधिसूचित किया है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

i. **ई-वाउचर की शुरुआतः-** भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के ख़रीदारों के लिए ई-वाउचर की शुरुआत की है ताकि स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सके।

ii. **नए वाहन खंडों की शुरुआतः**- इस स्कीम के अंतर्गत ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयोजन से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह रोगियों की आरामदेह आवाजाही के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नई पहल है। इसी प्रकार, इस स्कीम के अंतर्गत ई-ट्रकों की भी शुरुआत की गई है क्योंकि ट्रक वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक होते हैं। ई-ट्रक पर सब्सिडी लेने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों का स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

iii. **परीक्षण एजेंसियों का स्तरोन्नयनः-** वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन हेतु 780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख), (ग), (च) और (छ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में, 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नौ शहरों यथा-मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे को लक्षित किया जाएगा। ई-बसों की पहुंच बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों और तटवर्ती क्षेत्रों जैसी विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों में ई-बसों की ख़रीद और प्रचालन के लिए अलग प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं जिनमें गैर-ओपेक्स मॉडल को भी शामिल किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक किसी भी शहर के लिए ई-बस आवंटित नहीं किए गए हैं।

(घ) : आंध्रप्रदेश राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ङ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम और फेम-।। के बीच का अंतर निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	विवरण	पीएम ई-ड्राइव स्कीम	फेम-।। स्कीम
1.	परिव्यय	10,900 करोड़ रुपए	11,500 करोड़ रुपए
2.	स्कीम अवधि	2 वर्ष 31.03.2026 तक के लिए	5 वर्ष अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2024
3.	मांग प्रोत्साहन के अंतर्गत नए घटक	स्कीम के अंतर्गत ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक की शुरुआत की गई है जिनमें से प्रत्येक के लिए परिव्यय 500 करोड़ रुपए है।	ये ईवी खंड फेम-।। स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं थे।
4.	पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन अनुदान के लिए नए घटक	परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन हेतु 780 करोड़ रुपए का प्रावधान	फेम-।। में परीक्षण एजेंसियों के लिए कोई अनुदान सहायता उपलब्ध नहीं थी।
5.	आधार-आधारित चेहरा प्रमाणन, ई-वाउचर सृजन और सेल्फी अपलोडिंग	इस स्कीम के अंतर्गत आधार-आधारित चेहरा प्रमाणन की शुरुआत की गई है। साथ ही, बिक्री प्रमाणित करने के लिए वाउचर सृजन तथा सेल्फी अपलोड करना इस स्कीम की एक अन्य विशेषता है।	फेम-।। के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
6.	स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रोत्साहन	**ई-बसों के लिए** उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास पुरानी आईईसी बसों की स्क्रैपिंग के उपरान्त ई-बसों की तैनाती की योजना हो। **ई-ट्रकों के लिए** सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आईसीई ट्रकों का स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया है।	फेम-।। के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

*****